अनुदान संख्या 1 - कृषि और कृषक कल्याण विभाग
GRANT No. 1 - DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	123960,75,00	123960,82,00	101564,44,02	-22396,37,98
पूरक	Supplementary	7,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				20982,11,82
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	39,25,00	39,26,00	8,09,64	-31,16,36
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				23,01,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"					
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services					
मू.	O.	16340.00		15558.77	15293.35	-265.42
पु.	R.	-781.23				
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"					
फसल कृषि कर्म	Crop Husbandry					
मू.	O.	8013734.00		7618775.57	7490217.55	-128558.02
पू.	S.	2.00				
पु.	R.	-394960.43				
मुख्य शीर्ष "2416"	Major Head "2416"					
कृषि वित्तीय संस्थान	Agricultural Financial Institutions					
मू.	O.	1761214.00		1799793.10	1799788.60	-4.50
पू.	S.	1.00				
पु.	R.	38578.10				
मुख्य शीर्ष "2435"	Major Head "2435"					
अन्य कृषि कार्यक्रम	Other Agricultural Programmes					
मू.	O.	220430.00		205163.92	192764.92	-12399.00
पू.	S.	2.00				
पु.	R.	-15268.08				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"					
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas					
मू.	O.	1233260.00		2.00	..	-2.00
पू.	S.	2.00				
पु.	R.	-1233260.00				

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	1128604.00		648800.52	648690.34	-110.18
पु.	R.	-479803.48				
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature					
मू.	O.	19483.00		6392.00	6331.27	-60.73
पु.	R.	-13091.00				

(I) सैंतीस शीर्षों के अंतर्गत ₹1286652.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिस में से ₹1285673.80 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :–

(का) मुख्य शीर्ष "2401" –

(क) "बागवानी और सब्जी की फसलें – राष्ट्रीय मधु मक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम)" – ₹9000.00 लाख;

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन" – ₹22680.00 लाख; और

(I) Provision of ₹1286652.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023) remained wholly unutilized under thirty seven heads; of these ₹1285673.80 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2401" -

(a) "Horticulture and Vegetable Crops - National Beekeeping Honey Mission (NBHM)" - ₹9000.00 lakhs;

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Implementation of MIS/PSS" - ₹22680.00 lakhs; and

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन" – ₹11610.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2435" – "अन्य – जनजातीय क्षेत्र उप योजना – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" – ₹10000.00 लाख पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जनजातीय किसानों का आमेलन किए जाने के कारण कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण।

(गा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "फसल कृषि कर्म – विस्तार और किसानों का प्रशिक्षण – कृषि उन्नति योजना" – ₹7724.00 लाख;

(ख) "फसल कृषि कर्म – कृषिगत अर्थशास्त्र और सांख्यिकी – कृषि उन्नति योजना" – ₹3250.20 लाख (₹0.20 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(ग) "फसल कृषि कर्म – बीज – कृषि उन्नति योजना" – ₹1700.00 लाख;

(घ) "फसल कृषि कर्म – खाद और उर्वरक – कृषि उन्नति योजना" – ₹10389.16 लाख (₹0.16 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित;

(ङ) "फसल कृषि कर्म – वाणिज्यिक फसलें कृषि उन्नति योजना" – ₹9400.00 लाख;

(च) "फसल कृषि कर्म – तिलहनों का विकास – कृषि उन्नति योजना" – ₹11220.00 लाख; और

(छ) "फसल कृषि कर्म – बागवानी और सब्जी की फसलें" –

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Implementation of MIS/PSS" - ₹11610.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to non-receipt of proposals.

(B) Major Head "2435" - "Others - Tribal Area Sub-Plan - Rashtriya Krishi Vikas Yojna" - ₹10000.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from the implementing agencies owing to merger of tribal farmers in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh.

(C) Major Head "2552" -

(a) "Crop Husbandry - Extension and Farmers' Training - Krishonnati Yojna" - ₹7724.00 lakhs;

(b) "Crop Husbandry - Agricultural Economics and Statistics - Krishonnati Yojna" - ₹3250.20 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.20 lakh);

(c) "Crop Husbandry - Seeds - Krishonnati Yojna" - ₹1700.00 lakhs;

(d) "Crop Husbandry - Manures and Fertilizers - Krishonnati Yojna" - ₹10389.16 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.16 lakh);

(e) "Crop Husbandry - Commercial Crops - Krishonnati Yojna" - ₹9400.00 lakhs;

(f) "Crop Husbandry - Development of Oilseeds - Krishonnati Yojna" - ₹11220.00 lakhs; and

(g) "Crop Husbandry - Horticulture & Vegetable Crops" -

(i) "कृषि उन्नति योजना" – ₹14220.00 लाख।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत किया गया प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों/निधियों के पुनर्विनियोग के कारण अप्रयुक्त रहे।

(ii) "राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम)" – ₹1000.00 लाख – प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण।

(छ) "फसल कृषि कर्म – फसल बीमा – प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)" – ₹90902.00 लाख;

(ज) "फसल कृषि कर्म – किसानों को आय सहायता" –

(i) "प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएमकेआईएसएएन)" – ₹491160.00 लाख;

(ii) "एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन" – ₹11220.00 लाख;

(iii) "कृषि अवसंरचना निधि" – ₹5000.00 लाख;

(झ) "अन्य कृषि कार्यक्रम – कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पहलें – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" – ₹56770.00 लाख;

(ञ) "अन्य कृषिगत कार्यक्रम – विपणन सुविधायें" –

(i) "किसान उत्पादक संघ बनाना और उनका संवर्धन" – ₹3740.10 लाख (₹0.10 लाख

(i) "Krishonnati Yojna" - ₹14220.00 lakhs.

Provisions under the above seven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(ii) "National Bee Keeping Honey Mission (NBHM)" - ₹1000.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(h) "Crop Husbandry - Crop Insurance - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)" - ₹90902.00 lakhs;

(i) "Crop Husbandry - Farmers' Income Support" -

(i) "Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)" - ₹491160.00 lakhs;

(ii) "Implementation of MIS/PSS" - ₹11220.00 lakhs;

(iii) "Agriculture Infrastructure Fund" - ₹5000.00 lakhs;

(j) "Other Agricultural Programmes - Special Initiatives for Development of Agriculture & Allied Sector - Rashtriya Krishi Vikas Yojna" - ₹56770.00 lakhs;

(k) "Other Agricultural Programmes - Marketing Facilities" -

(i) "Formation and Promotion of Farmers Producers Organizations" - ₹3740.10

के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "कृषि उनति योजना" – ₹3740.00 लाख;

(ट) "भारतीय रिजर्व बैंक – आशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)" – ₹123528.00 लाख;

(ठ) "अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना"–

(i) "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)" – ₹27736.00 लाख;

(ii) "कृषि उन्नति योजना" – ₹12016.18 लाख (₹0.18 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iii) "कृषक उत्पादन संगठनों का निर्माण और संवर्धन" – ₹830.10 लाख (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iv) "प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–केआईएसए एन)" – ₹131220.00 लाख;

(v) "आशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)" – ₹41066.00 लाख; और

(vi) "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" – ₹21500.00 लाख।

उपर्युक्त चौदह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं में उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियो का कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोग और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

lakhs (including token supplementary grant of ₹0.10 lakh);

(ii) "Krishonnati Yojna" - ₹3740.00 lakhs;

(l) "Reserve Bank of India - Modified Interest Subvention Scheme (MISS)" - ₹123528.00 lakhs;

(m) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)" - ₹27736.00 lakhs;

(ii) "Krishonnati Yojna" - ₹12016.18 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.18 lakh);

(iii) "Formation and Promotion of Farmers Producers Organizations" - ₹830.10 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.10 lakh);

(iv) "Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)" - ₹131220.00 lakhs;

(v) "Modified Interest Subvention Scheme (MISS)" - ₹41066.00 lakhs; and

(vi) "Rashtriya Krishi Vikas Yojna" - ₹21500.00 lakhs.

Provisions under the above fourteen heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(vii) "एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन" – ₹2490.00 लाख; और

(ङ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन" – ₹1290.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(ii) "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)" – ₹14328.00 लाख;

(iii) "प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–केआईएसए एन)" – ₹57620.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iv) "आशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)" – ₹24192.00 लाख;

(v) "कृषि उन्नति योजना" – ₹25061.56 लाख (₹0.56 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(vi) "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" – ₹28070.00 लाख।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं में उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों को कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोग करने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – कृषि और कृषक कल्याण विभाग" के अंतर्गत – ₹917.71 लाख की बचत (₹16015.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जी–20 बैठकों के लिए कम खरीद और कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(vii) "Implementation of MIS/PSS" - ₹2490.00 lakhs; and

(n) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Implementation of MIS/PSS" - ₹1290.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-receipt of proposals.

(ii) "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)" - ₹14328.00 lakhs;

(iii) "Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)" - ₹57620.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh);

(iv) "Modified Interest Subvention Scheme (MISS)" - ₹24192.00 lakhs;

(v) "Krishonnati Yojna" - ₹25061.56 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.56 lakh); and

(vi) "Rashtriya Krishi Vikas Yojna" - ₹28070.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Agriculture and Farmers Welfare" - saving of ₹917.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16015.00 lakhs) was due to less procurement and receipt of less claims for G-20 meetings.

(III) मुख्य शीर्ष "2401" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(III) Under Major Head "2401" - savings occurred under the following heads: -

(का) "बीज – कृषि उन्नति योजना" – ₹4508.82 लाख की बचत (मार्च, 2023 में प्राप्त सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹12210.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Seeds - Krishonnati Yojna" - saving of ₹4508.82 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12210.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in March, 2023) was due to non-finalization of proposals.

(खा) "पौध संरक्षण – राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान" – ₹742.67 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Plant Protection - National Institute of Plant Health Management" - saving of ₹742.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(गा) "फसल बीमा – प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)" – ₹306264.14 लाख की बचत (₹1054278.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना मांग संचालित होने के नाते कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों को कम निधियों की आवश्यकता होने और राज्यों और किसानों द्वारा कम संख्या में नामांकन कराने के कारण हुई।

(C) "Crop Insurance - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)" - saving of ₹306264.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1054278.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the implementing agencies as scheme being demand driven and less enrolment by States and farmers.

(घा) "तिलहन का विकास – कृषि उन्नति योजना" – ₹51520.62 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹75488.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने के चलते कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(D) "Development of Oil Seeds - Krishonnati Yojna" - saving of ₹51520.62 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹75488.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in December, 2022) was due to receipt of less proposals owing to availability of unspent balances of previous year.

(ङ) "बागवानी और सब्जी की फसलें – कृषि उन्नति योजना" – ₹7251.16 लाख की बचत (₹40726.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(E) "Horticulture and Vegetable Crops - Krishonnati Yojna" - saving of ₹7251.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40726.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from implementing agencies.

(चा) "किसानों की आय सहायता" –

(क) "प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–केआईएसए एन)" – ₹39107.82 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 मे प्राप्त ₹0.70 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4604602.70

(F) "Farmers' Income Support" -

(a) "Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)" - saving of ₹39107.82 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4604602.70 lakhs including token

लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई)" – ₹8750.00 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और योजना के अंतर्गत कम संख्या में किसानों के नामांकन के कारण हुई।

(ग) "कृषि अवसंरचना निधि" – ₹19130.96 लाख की बचत (₹33560.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के अंतिम चरण में केन्द्रीय नोडल एजेन्सी कार्यप्रणाली शुरू होने के कारण कार्यान्वयन कर्ता अभिकरणों के दावे निपटाए नहीं जाने के कारण हुई।

(छा) "प्रौद्योगिकी उन्नति – कृषि उन्नति योजना" – ₹1837.06 लाख की बचत (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3000.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) हुई; और

(जा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(क) "कृषि उन्नति योजना" – ₹17369.30 लाख की बचत (₹26157.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(ख) "प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–केआईएसए एन)" – ₹285175.92 लाख की बचत (₹985417.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "कृषि अवसंरचना निधि" – ₹7358.96 लाख की बचत (₹7570.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की

supplementary grant of ₹0.70 lakh obtained in December, 2022) was due to receipt of less proposals.

(b) "Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojna (PMKMY)" - saving of ₹8750.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and less enrolment of farmers under the scheme.

(c) "Agriculture Infrastructure Fund" - saving of ₹19130.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33560.00 lakhs) was due to non-settlement of claims of implementing agencies owing to introduction of Central Nodal Agency functionality at the fag end of the year.

(G) "Technological Advancement - Krishonnati Yojna" - saving of ₹1837.06 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3000.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in March, 2023); and

(H) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Krishonnati Yojna" - saving of ₹17369.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26157.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals.

(b) "Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)" - saving of ₹285175.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹985417.00 lakhs); and

(c) "Agriculture Infrastructure Fund" - saving of ₹7358.96 lakhs (against the

तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लाभार्थियों के अधूरे डाटा/डाटा प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(घ) "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)"– ₹76946.41 लाख की बचत (₹238958.00 लाख के स्वीकृत प्रावधन की तुलना में) हुई; और

(झा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(क) "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)" – ₹4220.56 लाख की बचत (₹123798.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें योजना मांग संचालित होने के नाते कार्यान्वयन्कर्ता अभिकरणों को कम निधियों की आवश्यकता होने राज्यों और किसानों द्वारा कम संख्या में नामांकन किए जाने के कारण हुई।

(ख) "कृषि अवसंरचना निधि" – ₹3798.38 लाख की बचत (₹3870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लाभार्थियों के अधूरे डाटा प्राप्त होने/डाटा प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ञ) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान" – ₹601.15 लाख की बचत (₹5073.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर में उतार चढाव के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2416" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– आशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)" – ₹172621.40 लाख की बचत (₹291773.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

sanctioned provision of ₹7570.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to incomplete data/non-receipt of data of beneficiaries from States/UTs.

(d) "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)" - saving of ₹76946.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹238958.00 lakhs); and

(I) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)" - saving of ₹4220.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹123798.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds by the implementing agencies as scheme being demand driven and less enrolment by States and farmers.

(b) "Agriculture Infrastructure Fund" - saving of ₹3798.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3870.00 lakhs) was due to incomplete data/non-receipt of data of beneficiaries from States/UTs.

(J) "International Co-Operation - Contributions to International Organizations" - saving of ₹601.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5073.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

(IV) Under Major Head "2416" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Modified Interest Subvention Scheme (MISS)" - saving of ₹172621.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹291773.00 lakhs);

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – आशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)" – ₹40353.00 लाख की बचत (₹121044.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(V) मुख्य शीर्ष "2435" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण" –

(क) "विपणन सुविधायें – कृषक उत्पाद संगठन का निर्माण और संवर्धन " – ₹24285.44 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.60 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 33660.60 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(i) "कृषक उत्पादक संगठनों का गठन तथा प्रोत्साहन" – ₹5465.27 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹7470.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) "कृषि उन्नति योजना" – ₹5394.00 लाख की बचत (₹7470.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "कृषक उत्पादक संगठनों का गठन तथा प्रोत्साहन" – ₹2831.35 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3870.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Modified Interest Subvention Scheme (MISS)" - saving of ₹40353.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹121044.00 lakhs);

(V) Under Major Head "2435" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Marketing and quality control" -

(a) "Marketing Facilities - Formation and Promotion of Farmers Producers Organizations" - saving of ₹24285.44 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹33660.60 lakhs including token supplementary grant of ₹0.60 lakh obtained in December, 2022);

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Formation and Promotion of Farmers Producers Organizations" - saving of ₹5465.27 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7470.30 lakhs including token supplementary grant of ₹0.30 lakh obtained in December, 2022);

(ii) "Krishonnati Yojna" - saving of ₹5394.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7470.00 lakhs);

(c) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Formation and Promotion of Farmers Producers Organizations" - saving of ₹2831.35 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3870.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in December, 2022);

(ii) "कृषि उन्नति योजना" – ₹2664.32 लाख की बचत (₹3870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "अन्य – कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पहल" –

(क) "नाबार्ड को वित्तीय सहायता – माइक्रो सिंचाई योजना निधि" – ₹6751.78 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त आठ शीर्षों में बचतें कार्यान्वयन कर्ता अभिकर्ताओं से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" – ₹19490.80 लाख की बचत (₹84468.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निगरानी, मूल्यांकन और कृषि उद्यमशीलता कार्यक्रम के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस योजना को कार्यान्वित नहीं किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजना" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "केंद्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "कृषि उन्नति योजना" – ₹78477.20 लाख की बचत (₹232409.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" – ₹287236.17 लाख की बचत (₹613133.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(ii) "Krishonnati Yojna" - saving of ₹2664.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3870.00 lakhs); and

(B) "Others - Special Initiatives for development of Agriculture and Allied Sectors" -

(a) "Interest Subvention to NABARD - Micro Irrigation Fund" - saving of ₹6751.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs).

Savings under the above eight heads were due to receipt of less proposals from the implementing agencies.

(b) "Rashtriya Krishi Vikas Yojna" - saving of ₹19490.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹84468.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards monitoring, evaluation and agri - entrepreneurship programme and non-implementation of the scheme by some Union Territories.

(VI) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Centrally Assistance/Share" -

(a) "Krishonnati Yojna" - saving of ₹78477.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹232409.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies.

(b) "Rashtriya Krishi Vikas Yojna" - saving of ₹287236.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹613133.00 lakhs); and

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" – ₹66417.55 लाख की बचत (₹131379.00 लाख के स्वीकृत प्रावधन की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों के पास पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशियां उपलब्ध होने के कारण राज्यों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के चलते हुई।

(ख) "कृषि उन्नति योजना" – ₹37619.01 लाख की बचत (₹68730.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान के कारण) हुई;

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" – ₹14127.43 लाख की बचत (₹58815.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(VII) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "केंद्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "कृषि उन्नति योजना" – ₹1272.67 लाख की बचत (₹5708.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" – ₹6739.71 लाख की बचत (₹7575.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(क) "कृषि उन्नति योजना" – ₹1463.94 लाख की बचत (₹1880.00 लाख की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Rashtriya Krishi Vikas Yojna" - saving of ₹66417.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹131379.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds by States owing to availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(b) "Krishonnati Yojna" - saving of ₹37619.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹68730.00 lakhs);

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Rashtriya Krishi Vikas Yojna" - saving of ₹14127.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹58815.00 lakhs);

(VII) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "Krishonnati Yojna" - savings of ₹1272.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5708.00 lakhs);

(b) "Rashtriya Krishi Vikas Yojna" - saving of ₹6739.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7575.00 lakhs); and

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Krishonnati Yojna" - saving of ₹1463.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1880.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to receipt of less proposals.

(ख) "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" – ₹802.38 लाख की बचत (₹870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने के कारण जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी को कम निधियों की आवश्यकता होने और प्रस्ताव/उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(क) "कृषि उन्नति योजना" – ₹2222.47 लाख की बचत (₹2730.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" – ₹650.56 लाख की बचत (₹720.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(VIII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹377.52 लाख की बचत स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत है।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹670563.98 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹5.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) मुख्य शीर्ष "2401" –

(क) "खाद और उर्वरक – कृषि उन्नति योजना" – ₹6227.27 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹6212.29 लाख हुआ।

(ख) "वाणिज्यिक फसलें – कृषि उन्नति योजना" – ₹952.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹938.81 लाख हुआ।

(b) "Rashtriya Krishi Vikas Yojna" - saving of ₹802.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹870.00 lakhs) was due to requirement of less funds by J&K & Puducherry owing to availability of unspent balances of previous year and non-receipt of proposals/utilization certificates.

(C) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Krishonnati Yojna" - saving of ₹2222.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2730.00 lakhs); and

(b) "Rashtriya Krishi Vikas Yojna" - saving of ₹650.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹720.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals.

(VIII) Under one head saving of ₹377.52 lakhs occurred constituting 20 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹670563.98 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹5.00 lakhs in December, 2022 and March, 2023 under the following major heads: -

(A) Major Head "2401" -

(a) "Manures and Fertilizers - Krishonnati Yojna" - ₹6227.27 lakhs. Actual excess, however, was ₹6212.29 lakhs.

(b) "Commercial Crops - Krishonnati Yojna" - ₹952.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹938.81 lakhs.

(ग) "कृषक आय सहायता" –

(i) "एमआईएस/पीएसएस का कार्यान्वयन" – ₹299991.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹299989.90 लाख हुआ।

(ii) "कल्याण योजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दालों का वितरण" – ₹15721.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹15720.90 लाख हुआ।

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–केआईएसए एन)" – ₹29672.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹29664.56 लाख हुआ।

(ii) "कृषि उन्नति योजना" – ₹2620.82 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹830.33 लाख हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2416" – "भारतीय रिजर्व बैंक – आशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)" – ₹251549.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹251548.00 लाख हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "2435" – "विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण – विपणन सुविधायें – कृषि उन्नति योजना" – ₹59791.92 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹49733.97 लाख हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें – जनजातीय क्षेत्र उप योजना – कृषि उन्नति योजना" – ₹4038.97 लाख। तथपि वास्तविक अधिक व्यय ₹4013.70 लाख हुआ।

(II) बचतें भी मुख्य शीर्ष "2401" – "विस्तार और कृषक प्रशिक्षण कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत हुए अधिक व्यय – उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोग के

(c) "Farmers' Income Support" -

(i) "Implementation of MIS/PSS" - ₹299991.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹299989.90 lakhs.

(ii) "Distribution of Pulses to State/Union Territories for Welfare Schemes" - ₹15721.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹15720.90 lakhs.

(d) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)" - ₹29672.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹29664.56 lakhs.

(ii) "Krishonnati Yojna" - ₹2620.82 lakhs. Actual excess, however, was ₹830.33 lakhs.

(B) Major Head "2416" - "Reserve Bank of India - Modified Interest Subvention Scheme (MISS)" - ₹251549.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹251548.00 lakhs.

(C) Major Head "2435" - "Marketing and quality control - Marketing Facilities - Krishonnati Yojna" - ₹59791.92 lakhs. Actual excess, however, was ₹49733.97 lakhs.

(D) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Krishonnati Yojna" - ₹4038.97 lakhs. Actual excess, however, was ₹4013.70 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the Major Head "2401" - "Extension and Farmers' Training - Krishonnati Yojna" - excess of ₹2772.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18360.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from

कारण ₹2772.53 लाख के अधिक व्यय (₹18360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) – द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं।

Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹347.99 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹347.99 lakhs occurred constituting 12 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4401"	Major Head "4401"				
फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Crop Husbandry				
मू.	O.	3775.00			
पू.	S.	1.00	1620.00	809.64	-810.36
पु.	R.	-2156.00			

(I) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹400.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा ।

(I) Provision of ₹400.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) "कृषि अभियांत्रिकी – ट्रेक्टर प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान" के अंतर्गत – ₹1520.96 लाख की बचत (₹1895.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं दिए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Agricultural Engineering - Tractor Training and Testing Institutes" - saving of ₹1520.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1895.00 lakhs) was due to non-materialization of proposals and non-utilization of funds by Central Public Works Department.

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1134.56 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक थी किंतु ₹500.00 लाख से कम थी और स्वीकृत प्रावधान के 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक थीं।

(III) Under three heads savings of ₹1134.56 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 70 percent to 80 percent of the sanctioned provision.